

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: monitoring.rcse@gmail.com

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/मॉनीटरिंग/जिला प्रभारी अधिकारी/2018-19/9233

दिनांक: 10 / 12 / 2018

कार्यालय आदेश


राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधनोपरान्त उनके नाम के सामने अंकित जिला का जिला प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	आवंटित जिला
1	श्रीमती आशा गुप्ता	उपनिदेशक	सीकर
2	श्री शिव प्रकाश शर्मा	उपनिदेशक	जयपुर
3	श्री योगेन्द्र प्रसाद शर्मा	उपनिदेशक	बारां
4	डॉ. सीमा पाराशर	उपनिदेशक	कोटा
5	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	उपनिदेशक	अजमेर
6	श्री दयानन्द	उपनिदेशक	धौलपुर
7	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता	उपनिदेशक	उदयपुर
8	श्री दीपक कुमार	उपनिदेशक	दौसा
9	डॉ. बालेन्द्र सिंह	उपनिदेशक	टोंक
10	श्रीमती डिम्पल गुप्ता	सहायक निदेशक	
11	श्री दिनेश गुप्ता	उपनिदेशक	झालावाड
12	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपनिदेशक	अलवर
13	श्री राजेश कुमार शर्मा	उपनिदेशक	पाली
14	श्री चेतन कुमार पालीवाल	उपनिदेशक	प्रतापगढ़
15	श्री योगेश उपाध्याय	सहायक निदेशक	नागौर
16	डॉ. विजय लाल बैरवा	सहायक निदेशक	सवाई माधोपुर
17	डॉ. मोटाराम भादू	सहायक निदेशक	बांसवाडा,
18	श्री शशीकान्त शर्मा	सहायक निदेशक	बाडमेर,
19	श्री मोहित कुमार	सहायक निदेशक	झुंझुनू
20	डॉ. सुभाष कौशिक	सहायक निदेशक	भरतपुर
21	डॉ. स्नेहलता शर्मा	सहायक निदेशक	जोधपुर
22	डॉ. धर्मवीर सिंह	सहायक निदेशक	चित्तौड़गढ़
23	श्री नवल किशोर सिंहल	सहायक निदेशक	सिरोही
24	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	सहायक निदेशक	करौली
25	श्री नवल किशोर शर्मा	सहायक निदेशक	
26	श्री राजेश कुमार मीणा	सहायक निदेशक	श्रीगंगानगर
27	श्री भीष्म सहारण	सहायक निदेशक	हनुमानगढ़
28	श्री संजय शर्मा	सहायक निदेशक	बूंदी
29	श्री नारायण सिंह	सहायक निदेशक	भीलवाडा
30	श्री मुकेश चन्द	सहायक निदेशक	बीकानेर
31	श्री राकेश रोशन शर्मा	सहायक निदेशक	चूरू
32	श्री जुबेर अहमद	सहायक निदेशक	राजसमन्द
33	श्री दिनकर शर्मा	सहायक निदेशक	जालौर
34	श्री लेखराज मित्तल	सहायक निदेशक	डूंगरपुर
35	श्री सुरेश चन्द्र जाँगिड	सहायक निदेशक	जैसलमेर

1. उक्त जिला प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग शाखा द्वारा जारी किये गये नॉर्म्स (पृष्ठांकित) के अनुसार जिलों का भ्रमण करेंगे।

2. अधिकारी प्रत्येक विजिट के दौरान जिले में अलग-अलग ब्लॉक का परिवीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय/गतिविधि के परिवीक्षण कार्यक्रम की जानकारी यथासम्भव जिले को पूर्व में नहीं दी जानी चाहिए तथा कार्यक्रम तात्कालिक निरीक्षण का होना चाहिए। जिससे वस्तुस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके। इन परिवीक्षणों का उद्देश्य सुधारात्मक है।
4. अधिकारी अपनी यात्रा पर प्रस्थान के पूर्व अन्य कम्पोनेन्ट प्रभारियों से उस जिले की प्रगति एवं समस्याओं एवं उनके समाधान पद विचार-विमर्श करेंगे।
5. जिला प्रभारी, जिले में प्रवास के दौरान ही आवश्यकतानुसार परिषद के उच्च अधिकारियों से दूरभाष/मोबाईल पर वार्ता कर यथासम्भव समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावेंगे।
6. परिवीक्षण के दौरान जिले में आगामी माह में कार्यक्रमानुसार संचालित की जाने वाली गतिविधियों की पूर्व तैयारी की समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
7. जिला प्रभारी अधिकारी कम से कम दो दिवस जिले में ठहराव करेंगे। इस दौरान जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठक आयोजित कर गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।
8. कम्पोनेन्ट प्रभारी उन्हें आवंटित जिलों के अतिरिक्त शेष जिलों के लिए भी अपने कम्पोनेन्ट के सम्बन्ध में आयोजित गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व होंगे तथा आवश्यकतानुसार अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे।
9. एक अनुभाग (कम्पोनेन्ट से सम्बन्धित अधिकारी एक साथ भ्रमण कार्यक्रम नहीं बनायेंगे एवं शनिवार को सम्मिलित करते हुए यात्रा कार्यक्रम बनायेंगे।
10. भ्रमण कार्यक्रम अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुमोदित करवाया जायेगा।
11. प्रत्येक अधिकारी भ्रमण के पश्चात् तीन दिवस में विस्तृत Visit Report निर्धारित प्रपत्र में कमियों व प्रस्तावित कार्यवाही के साथ मॉनिटरिंग शाखा को प्रस्तुत करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि Visit Report पर सम्बन्धित प्रकोष्ठ से कार्यवाही समय पर की जावे। मॉनिटरिंग शाखा द्वारा कार्यवाही/निर्देशन की पालना रिपोर्ट की मॉनिटरिंग की जावे।
12. Monitoring प्रकोष्ठ द्वारा जिला भ्रमण कर राज्य के समस्त जिलों की गतिविधिवार, जिला रैंकिंग से सम्बन्धित चर्चा कर मॉनिटरिंग की जावे।

www.rajteachers.com



(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक
दिनांक: 10 / 12 / 2018

मांक: रास्कूशिप/जय/मॉनीटरिंग/जिला प्रभारी अधिकारी/2018-19/ 9233

तिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- जिला कलक्टर, समस्त जिले।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
- राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समस्त जिला प्रभारी अधिकारी।
- नियन्त्रक वित्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त उपनिदेशक/सहा. निदेशक, कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।